

## होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय विशेष भत्ता

होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को रा0सं0 513/36-1-2016-1075 (एस0टी0)/85, दिनांक 18.04.2016 के प्राविधानानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत अंक 386 (तीन सौ छियासी) पर दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक निम्नलिखित दृष्टांत की भांति उनकी मूल मजदूरी को शत प्रतिशत निष्प्रभावी करके परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता देय है।

**दृष्टांत** -रु0 6350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक: 01.10.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् है :-

$$\frac{(386-239) \times 6350}{239} = 3905.65 \text{ रु0 प्रतिमाह}$$

**विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-**

होटल और रेस्टोरेन्ट के वर्ग	श्रेणी	मूलवेतन	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्ट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6350	3905.65	10256.00	394.00
	अर्द्धकुशल	7000	4305.43	11305.00	435.00
	कुशल	7840	4822.09	12662.00	487.00
सड़क के किनारे या कालोनियों (मोहल्लों) के ढाबा, होटल और रेस्टोरेन्ट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हैं	अकुशल	6730	4139.37	10869.00	418.00
	अर्द्धकुशल	7420	4563.76	11984.00	461.00
	कुशल	8310	5111.17	13421.00	516.00
	अति कुशल	8975	5520.18	14495.00	558.00
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये	अकुशल	7540	4637.57	12178.00	468.00
	अर्द्धकुशल	8980	5523.26	14503.00	558.00
	कुशल	10640	6544.26	17184.00	661.00
	अति कुशल	12565	7728.26	20293.00	781.00

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

**कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।**

पत्र संख्या: 1541-17 /आई0आर0-2023

दिनांक 09-10-2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।

2. अध्यक्ष / महामंत्री श्रमिक संघ (सीटू / एच.एम.एस. / बी.एम.एस. / इण्टक / एटक / एक्टू)।
3. सेवायोजक (यू.पी.एच.आर.ए.)।
4. उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय।
5. पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
6. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- उप श्रम आयुक्त, नजारत को नोटिस बोर्ड पर चस्या करने हेतु।

*KM'*

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

*१२*